

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प.19 (11) सा.प्र./ग्रुप-4/09

जयपुर दिनांक 25/4/18

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान (जयपुर को छोड़कर)

विषय:-राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के कार्य करवाने हेतु बजट आवंटन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न जिलों में स्थित (जयपुर शहर के अलावा) राजकीय आवासों के लिये परिवर्तन/परिवर्द्धन संबंधी अति-आवश्यक प्रकृति के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध प्रावधान में से कार्य करवाये जाने हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	बजट मद 4216-01-700-(10) [90] आवास पर पूंजीगत परिव्यय-सरकारी रिहायशी भवन-अन्य आवास-प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास-[निर्माण कार्य-स्कीम] 16लघु निर्माण कार्य	बजट मद 4216-01-700-(11) [90] आवास पर पूंजीगत परिव्यय-सरकारी रिहायशी भवन-अन्य आवास-तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवास-[निर्माण कार्य-स्कीम] 16लघु निर्माण कार्य	बजट मद 4216-01-700-(09) [90] आवास पर पूंजीगत परिव्यय-सरकारी रिहायशी भवन-अन्य आवास-पंचम एवं छठीं श्रेणी के आवास-[निर्माण कार्य-स्कीम] 16लघु निर्माण कार्य
1	अजमेर	2.00	2.00	2.00
2	अलवर	2.00	2.00	2.00
3	बांसवाड़ा	1.50	2.00	2.00
4	बाड़मेर	1.00	2.00	2.00
5	बारा	1.50	2.00	2.00
6	भरतपुर	1.00	1.00	1.00
7	भीलवाड़ा	2.00	2.00	2.00
8	बीकानेर	2.00	2.50	2.50
9	बूंदी	2.00	2.00	2.00
10	चित्तौड़गढ़	2.00	2.00	2.00
11	चूरु	1.00	2.00	2.00
12	डूंगरपुर	2.00	2.00	2.00
13	दौसा	2.00	2.00	2.00
14	धौलपुर	1.00	2.00	2.00
15	श्री गंगानगर	2.00	2.50	2.50
16	हनुमानगढ़	2.00	2.00	2.00
17	जैसलमेर	2.00	2.00	2.00
18	जालौर	2.00	1.50	1.50
19	झालावाड़	2.00	2.00	2.00
20	झुंझुनु	1.50	1.50	1.50
21	जोधपुर	1.00	1.50	1.50
22	कोटा	1.00	2.00	2.00
23	नागौर	2.00	2.00	2.00
24	पाली	2.00	2.00	2.00
25	सवाईमाधोपुर	1.00	1.00	1.00
26	सिरोही	1.00	1.50	1.50
27	सीकर	2.00	2.50	2.50
28	टोंक	2.00	2.50	2.50
29	उदयपुर	1.50	1.00	1.00
30	राजसमन्द	2.00	2.00	2.00
31	करौली	2.00	1.00	1.00
32	प्रतापगढ़	2.00	2.00	2.00
	कुल योग	54.00	60.00	60.00


उक्त बजट मद में स्वीकृति जारी करने हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 द्वारा राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देश के अन्तर्गत करवाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रथम से छठवीं श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु वित्त विभाग द्वारा 7 कार्यों को चिन्हित किया गया है। अतः निम्नांकित 7 कार्यों में से ही कार्य स्वीकृति किया जावे:-

क्र.स.	कार्य का विवरण
1	फर्श का रिप्लेशमेंट।
2	टायलेट नवीनीकरण।
3	स्टोर/किचन में परिवर्तन/परिवर्द्धन।
4	कप बोर्डस।
5	दरवाजे, खिडकियों एवं गेट्स का रिप्लेशमेंट।
6	ग्राउण्ड वाटर टैंक का निर्माण।
7	चार दिवारी ऊँची करना एवं नई बाउण्डरी वाल निर्माण।

3. इस बजट प्रावधान का उपयोग केवल सामान्य प्रशासनिक आवासीय पूल के आवासों हेतु किया जावेगा।
4. वित्त विभाग द्वारा यू.ओ.नोट दिनांक 21.02.17 द्वारा सभी श्रेणी के आवासियों द्वारा 10 प्रतिशत सहभागिता के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
5. राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के कार्य करवाये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूर्वानुमान बनवाकर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर के नाम आवास संख्या व कार्य का विवरण अंकित करते हुये स्वीकृति जारी की जावे, जिसकी प्रति संभागीय आयुक्तगण/ अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित करते हुये इस विभाग को भी भिजवावे।
6. उक्त राशि के पेटे कार्य पूर्ण होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कम्प्लीशन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावे तथा प्रतिमाह कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति से भी अवगत करावे।

भवदीय


(गौरव बजाड़)
शासन उप सचिव(क)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय आयुक्तगण, समस्त संभाग।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(जनशक्ति) विभाग।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजकर लेख है कि समस्त अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित करने का श्रम करें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देश के अन्तर्गत राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य करवाने का श्रम करें तथा उक्त निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव(क)